



CCL

Fuelling Sustainable Growth
CENTRAL COALFIELDS LTD.

^E
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1958GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

संख्या: सीसीएल/मप्र(का-अधि.स्था.)/कार्मिक/ विरमित /25/ 4270-83

दिनांक : 18/03/2025

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या-CIL/C-5A(CC)/Prom.E5-E6_Pers/2024/B-195 दिनांक-26.02.2025 द्वारा कार्मिक संवर्ग के प्रबन्धक/ई5 ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति ₹ 90,000-2,40,000/- के वेतनमान में वरीय प्रबंधक/ई6 ग्रेड में किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लेखित सीईएल की अनुषंगी कंपनी में स्थांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हें **19.03.2025 (अपराहन)** से विरमित किया जाता है।

Sl.No	EIS No.	Name (Sri)	Present place of posting	Transfer Place of Posting on promotion
1.	90277021	Rajeev Ranjan	Admin. Deptt., CCL HQ	CMPDIL


श्री राजीव रंजन अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल** को रिपोर्ट करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। स्थानतरित कंपनी में उच्च पद पर प्रभार ग्रहण के उपरांत ही उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी।

संबन्धित अधिकारियों को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से **साठ(60) दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।


(अंकुर गौतम)

उप-प्रबन्धक (कार्मिक-अधि.स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

- निदेशक (वित्त)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (तकनीकी/संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना) सीसीएल, रांची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीएमपीडीआईएल, रांची।
- महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष (सतर्कता)/(अधि. स्था.)/(प्रणाली)/(वित्त)/ (प्रशासन)/ (सामाजिक सुरक्षा), सीसीएल, रांची।
- मुख्य प्रबंधक /वरीय प्रबन्धक (स्थापना) /(ईपीआर - वित्त), सीसीएल, रांची।
- प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
- प्रबन्धक/ उप-प्रबन्धक(कार्मिक-अधि.स्था.),सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- प्रबंधक (सीएमपीएफ - वित्त), सीसीएल, रांची।
- सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबन्धित अधिकारी।
- व्यक्तिगत फ़ाइल।